ऑपरेशन 'गियर बॉक्स'

प्रिलिम्स के लिये:

ऑपरेशन 'गियर बॉक्स'

मेन्स के लिये:

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और संबंधित पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence-DRI) ने हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिये **ऑपरेशन 'गियर बॉक्स'** शुरू किया, जिसमें कोलकाता बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया।

- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत हेरोइन की जाँच की गई और उसे जब्त कर लिया गया।

ऑपरेशन 'गियर बॉक्स':

- गियर बॉक्स/कंटेनर में **छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिये ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है।**
- पुराने और उपयोग किये गए गियर बॉक्स को खोलने के बाद वहाँ से गियर को हटा दिया गया और उस जगह पर मादक पदार्थों से युक्त प्लास्टिक के पैकेट रखे गए तथा जाँच से बचने के लिये गियर बॉक्स को फिर से फिट कर दिया गया था।
  - ड्रग सिंडिकेट ने हेरोइन को छिपाने के लिये इस अनोखे तरीके का उपयोग किया है।
- इन पैकेटों को धातु के स्क्रैप के साथ अन्य धातु स्क्रैप के अंदर छिपाकर भेजा गया था, ताकि अधिकारियों का ध्यान इस पर न जाए।

भारत में ड्रग्स का सेवन:

- भारत के युवाओं में नशे की लत तेज़ी से फैल रही है।
  - भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों (एक तरफ 'गोल्डन ट्रायंगल' और दूसरी तरफ 'गोल्डन क्रिसेंट') के बीच स्थित है।
  - 'गोल्डन ट्रायंगल' क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।
  - 'गोल्डन क्रिसेंट' क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।

//

- [वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021] के अनुसार, भारत (विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता) में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है।
- **अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** की 'क्राइम इन इंडिया- 2020' रिपोर्ट के अनुसार, NDPS अधिनियम के तहत कुल 59,806 मामले दर्ज किये गए थे।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की वर्ष 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा पर जारी रिपोर्ट के अनुसार,
  - भारत में 3.1 करोड़ भाँग उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 25 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
  - भारत में 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 28 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।

अन्य संबंधित पहलें:

- जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली
- नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे
- NDPS अधिनियम, 1985
- नशा मुक्त भारत

नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन:

- भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिये निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है:
  - नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (UN) कन्वेंशन (1961)
  - मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971)
  - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)
  - अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनटीओसी) 2000

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों के साथ भारत की निकटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे- बंदूक बेचने, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिये। इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? (2018, मुख्य परीक्षा)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/operation-gear-box